::आदेश::

भारत सरकार, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/113/2020/एफ0सी0/1818 दिनांक 26.11.2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल–घण्डियाल(मयाली) जू0हा0 डाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.400है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई है। जिसकी शर्त सं0 3(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.8है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम भैंसकोट खसरा नं0 19,26 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर ने अपने कार्यालय पत्र सं0 48/आर0ए0/विविध/2021 दिनांक 23.10.2021 में उल्लेख किया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि ग्राम भैंसकोट पट्टी चन्द्रबदनी की नॉन जेड ए खतौनी खाता सं0 149 के खसरा सं0 19 रक्बा1.439है0 मध्ये 0.800है0 व खसरा सं0–26 रक्बा 2.729है0 मध्ये 2.000है0 कुल 02 खेत कुल अर्जित रक्बा 2.800है0 भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर उक्त भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित [illegible] उल्लेख किया गया है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्बा (है0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
भैंसकोट	चन्द्रबदनी	149	19म0 26म0	0.800है0 2.000है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड
				2.800 है0	

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल–घण्डियाल(मयाली) जू0हा0 डाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्बा 2.800 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार देवप्रयाग तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 62/XI–17 (2021–22)दिनांक,नई टिहरी, नवम्बर,22 ,2021.

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
6– अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर।
7– उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
8– तहसीलदार देवप्रयाग को अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्य हेतु सत्यापित
सहायक अभियंता
अ0ख0, लो0नि0वि0
देवप्रयाग

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

2022/7/1 15:58